

बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए०एन०एम०) पदों पर नियुक्ति हेतु  
विज्ञापन

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन-दिनांक-24.02.2016 से 15.03.2016 तक।

विज्ञापन संख्या-03010216 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अधीनस्थ विभिन्न जिलों के असैनिक शाल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) के अधीन निम्नांकित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑन-लाईन आवेदन आयोग के वेबसाईट <http://bssc.bih.nic.in> पर आमंत्रित किये जाते हैं। ऑनलाईन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

कुल रिक्तियाँ:-7000

अनुसूचित जाति	-	1120
अनुसूचित जनजाति	-	70
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	-	1260
पिछड़ा वर्ग	-	840
पिछड़ा वर्ग की महिला	-	210
अनारक्षित	-	3500

रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है जो घट-बढ़ सकती है।

वेतनमान-5200-20200, ग्रेड-पे 2400

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा समय-समय पर, निर्धारित अवधि का ए०एन०मिडवाइफरी में प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा।

उम्र सीमा :- दिनांक-01.08.2015 के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(1.) आयु न्यूनतम- 21 (इक्कीस) वर्ष।

सामान्य प्रशासन विभाग के (पूर्व में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) संकल्प संख्या-294, दिनांक-07.01.2016 के अनुसार अधिकतम-(1) अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष। (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला)- 40 वर्ष। (3) अनारक्षित (महिला)- 40 वर्ष। (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)- 42 वर्ष।

(2.) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2374 दिनांक-16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है। साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक-62, दिनांक-05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 (दस) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

(3.) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 (तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 (तिरेपन) वर्ष से अधिक नहीं हो।



## चयन की प्रक्रिया :-

आयोग सुयोग्य अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् निम्नलिखित के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगा :-

- (क) ए०एन०एम० कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए :- 50 अंक
- (ख) उच्चतर डिग्री के लिए :- 10 अंक
- (ग) बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव (प्रति वर्ष के लिए 05 अंक, अधिकतम 25 अंक) :- 25 अंक
- (घ) साक्षात्कार के लिए :- 15 अंक

कुल :- 100 अंक

ए०एन०एम० के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.5 के गुणक से गुणा कर किया जायेगा । यथा-यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे  $50\% \times 0.5 = 25$  अंक दिये जायेंगे ।

## क्वालीफाइंग मार्क्स :-

साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक निम्नांकित है :-


सामान्य वर्ग	- 40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	- 36.5 प्रतिशत
अ०पि०वर्ग	- 34 प्रतिशत
अनु०जाति / जनजाति	- 32 प्रतिशत
महिला वर्ग	- 32 प्रतिशत

**परीक्षा शुल्क :-** सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क के लिए 750/- (सात सौ पचास रुपये) मात्र का तथा मात्र वे उम्मीदवार जो बिहार के स्थायी निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के भी हैं, 200/- (दो सौ रुपये) मात्र परीक्षा शुल्क बैंक चालान भारतीय स्टेट बैंक के किसी शाखा में जमा करेंगे। बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 750/- (सात सौ पचास रुपये) मात्र निर्धारित है। अभ्यर्थी ऑनलाइन (Online) रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् चालान डाउनलोड कर भारतीय स्टेट बैंक के किसी भी शाखा में दिनांक 25.02.2016 से 16.03.2016 तक समर्पित करेंगे। अन्य किसी माध्यम से भेजा गया शुल्क मान्य नहीं होगा।

चालान की प्रति ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आयोग के वेबसाईट पर रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात् तीन प्रतियों में उपलब्ध होगा जिसको डाउनलोड कर उपयोग में लाना अनिवार्य है । किसी अन्य माध्यम से उपलब्ध करके भरा हुआ चालान की प्रति मान्य नहीं होगा ।

**आरक्षण :-** (i) आवेदन पत्र में, नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा । सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70, दिनांक-11.06.1996 एवं बिहार अधिनियम 15/2003 के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल वासी को ही देय है ।

(ii) आरक्षित उम्मीदवारों के लिये, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र/क्रीमी लेघर रहित प्रमाण पत्र मान्य होंगे । साक्षात्कार के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र के



साथ क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करनेवाले अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा । अभ्यर्थी आवेदन-पत्र भरते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वे जिस आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत आते हों, उसी आरक्षण श्रेणी का दावा करेंगे ।

(iii) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में दावा किये गये आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा । गलत आरक्षण का दावा करने पर उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा ।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-13185, दिनांक-03.09.2015 के अनुसार बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 02 (दो) प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा । अर्थात् चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी ।


(v) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प सं-0-62, दिनांक-05.01.2007 के प्रावधान के आलोक में विकलागों को 03 प्रतिशत (01 प्रतिशत दृष्टि निःशक्तता, 01 प्रतिशत मूक बधिर निःशक्तता तथा 01 प्रतिशत चलन निःशक्तता) आरक्षण देय है। यदि किसी रिक्ति के किसी उपयुक्त निःशक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किन्हीं अन्य पर्याप्त कारण से भरा नहीं जायेगा, तो ऐसी रिक्ति नियमानुसार अगले वर्ष में अग्रणित की जायेगी । विकलांग उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकार के द्वारा प्रदत विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही नियमानुसार आरक्षण देय होगा । ऑनलाईन आवेदन भरने के समय अभ्यर्थी विकलांगता का प्रकार तथा प्रतिशत संबंधित कॉलम में दर्ज करेंगे ।

अन्य :- (i) वैसे ही उम्मीदवार साक्षात्कार में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा बुलावा पत्र (Call letter) निर्गत किया जायगा । बुलावा-पत्र निर्गत होने मात्र से अर्हता की सम्पुष्टि नहीं मानी जायेगी । किसी उम्मीदवार के साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए पात्रता/ अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

(ii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने पर अधिकारी रद्द कर दिया जायेगा ।

(iii) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने के पश्चात Submit करने से पूर्व उसकी सभी प्रविष्टियों को ध्यानपूर्वक देखकर यह सुनिश्चित कर लें कि सभी प्रविष्टियाँ ठीक से भरी गई हैं । ऑनलाईन आवेदन समर्पित कर देने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की त्रुटि का परिमार्जन नहीं किया जा सकेगा ।

अंतिम तिथि:- ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक-24.02.2016 से 18.03.2016 की रात्रि 12:00 बजे (Server Time) तक निर्धारित है । अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

  
सचिव,

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना-14